

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016—चैत्र 17, शक 1938

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्र. एफ 13-1-2016-बाईस-पं. 2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र", दिनांक 22 जनवरी 2016 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 3 के सामने, कॉलम (4) में, शब्द "जनपद पंचायत" के स्थान पर, "जिला पंचायत" स्थापित किए जाएं.
2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 3 के सामने, कॉलम (6) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"जिला पंचायत द्वारा जारी की गई अनंतिम (प्रोविजनल) चयन सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के लिये :—

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | अध्यक्ष, शिक्षा समिति, जिला पंचायत       | अध्यक्ष    |
| 2. | शिक्षा समिति, जिला पंचायत के समस्त सदस्य | सदस्य      |
| 3. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत     | सदस्य सचिव |
| 4. | जिला शिक्षा अधिकारी                      | सदस्य      |
| 5. | सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण           | सदस्य."    |

3. ये संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

No. F-13-1-2016-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, the same haveing been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette", dated 22<sup>nd</sup> January 2016 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Schedule-I, against serial number 3, in coloum (4), for the words "Janpad Panchayat", the words "Zila Panchayat" shall be substituted.
2. In Schedule-II, against serial number 3, in coloum (6), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“For objections received in relation to the provisional select list issued by the Zila Panchayat :—

1.	Chairman, Education Committee, Zila Panchayat	Chairman
2.	All members of Education Committee	Member
3.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Member Secretary
4.	District Education Officer	Member
5.	Assistant Commissioner, Tribal Welfare	Member."

3. These amendments shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.